790

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को नव वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में डायरी–2020 की 2500 प्रतियां डिजाइनिंग सहित मुद्रण की आवश्यकता है। एतद् संबंधी विशिष्ट शर्त्तों एवं उपबधों के अधीन अनुभवी एवं योग्य मुद्रकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से डायरी की डिजाइनिंग एवं मुद्रण हेतु अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में दिनांक 30.11.2019 को अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे स्थानीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। क्रय समिति के समक्ष कोटेशनदाता उपस्थित रह सकते हैं।

1) शर्त एवं उपबंध :–

1. कोटेशनदाता को स्वयं का डिजाइनिंग विशेषज्ञ तथा आधुनिक मल्टी कलर सीट ऑफसेट मशीन एवं बाईंडिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस होना चाहिए।
2. कोटेशनदाता को समान प्रकृति कार्य का अनुभव होना चाहिए। तकनीकी कोटेशन के साथ नमूना एवं पूर्व के सभी कार्यों के कार्यादेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।
3. कोटेशनदाता का प्रेस जी.एस.टी. एवं एस.एस.आई. से मुद्रक के रूप में निबंधित होना चाहिए।
4. कोटेशनदाता का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षों में औसत प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख रूपये होना चाहिए।
5. प्रकाशन सामग्रियों की सख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
6. आयकर रिटर्न वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का संलग्न करना होगा।
7. विशिष्टियों के अनुरूप कागज एवं डिजाइन आदि का नमूना तकनीकी कोटेशन के साथ देना होगा।
8. प्रकाश्य सामग्री विभाग से ससमय प्राप्त कर लेना होगा। शेष सभी सामग्री एवं कार्य की व्यवस्था कोटेशनदाता को अपने स्तर से करना होगा।
9. उपर्युक्त सभी शर्तो एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. तकनीकी रूप से, उत्कृष्ट डिजाइन के साथ, सफल कोटेशनदाता का ही वित्तीय कोटेशन खोला जाएगा।
11. मुद्रित प्रतियाँ निर्धारित गुणवत्ता की नहीं पाये जाने/मुद्रण में त्रुटि/अस्पष्टता रहने, मजबूत बाईंडिंग नहीं होने, मुद्रित सामग्री ससमय आपूर्ति नहीं करने/कोटेशन शर्तों से विचलन आदि की स्थिति में भुगतेय राशि से स्वाभाविक रूप से कटौती की जाएगी एवं फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
12. सभी अथवा किसी कोटेशन को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार विभागीय प्रधान सचिव को सुरक्षित रहेगा।

13. सभी कोटेशन उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, कमरा संख्या–326, तृतीय मंजिल, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015 को निर्धारित तिथि और समय पर पहुँच जानी चाहिए।

2) **<u>तकनीकी कोटेशन के साथ निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा:–</u>**

क) कोटेशन के साथ 10,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। ड्राफ्ट अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के नाम से होना चाहिए, जो पटना में भुगतेय हो।

ख) पिछले तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन, संगत वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।

ग) जी.एस.टी. एवं एस.एस.आई. के द्वारा मुद्रक के रूप में निबंधित होने का प्रमाण।

घ) कोटेशनदाता के पास अपना आधुनिक मल्टी कलर सीट ऑफसेट एवं बाईंडिंग सिस्टम की सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने का प्रमाण।

ड) कोटेशनदाता को अपने प्रेस की विशिष्टियों विभिन्न प्रकार की मशीनों की संख्या तथा उत्पादन क्षमता का विस्तृत ब्योरा देना होगा।

च) कोटेशनदाता का प्रेस किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो। तद्संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

छ) जमा किये सभी कागजात स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए।

ह0/–

(तारानन्द महतो वियोगी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/वि०1–64/2019 ..../ पटना, दिनांक ..../2019

प्रतिलिपि– (1) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय के सूचना पट में चिपकाने हेतु प्रेषित।

(2) विभागीय सूचना पट में चिपकाने हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/वि०1–64/2019 1360/ पटना, दिनांक 19/11/2019

प्रतिलिपि– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

19.11.19

सरकार के उप सचिव।